सं. जेड-28016/5/2016-एसएसएच (ईओ-3050705)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

पीएमएसएसवाई प्रभाग

विज्ञापनः प्रधान परामर्शदाता (विधि) की नियुक्ति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए ग्यारह (11) माह की अवधि, जिसका कार्यात्मक आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर विस्तार किया जाएगा, हेतु संविदा आधार पर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रधान परामर्शदाता (विधि) की सेवाएं लेना चाहता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आवेदकों से नीचे दिए गए प्रपत्र के अनुसार 31 मार्च, 2016 तक आवेदन करने का अनुरोध किया जाता हैः

1) **योग्यताः** किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि। विधि में स्नातकोत्तर उपाधि विशेष योग्यता मानी जाएगी।
2) **अनुभवः** विधि मामलों, विशेषकर निम्नलिखित क्षेत्रों में, बीस वर्ष का अनुभव होः-
   i) भर्ती / स्थापना / संविदागत मामलों से संबंधित मामलों सहित न्यायालय मामलों / मध्यस्थता मामलों का निपटान करना,
   ii) विधि / सांविधिक की जांच और विश्लेषण का अनुभव,
   iii) विधि प्रक्रियाओं / श्रम कानूनों / मध्यस्थता मामलों में सरकारी प्रशासनिक विनियमों / अनुभव का अच्छा ज्ञान हो; और
   iv) लिखित और मौखिक रूप से अंग्रेजी / विधि प्रारूपण में दक्षता।
3) **कार्य जवाबदेही** में पीएमएसएसवाई प्रभाग को सहायता प्रदान करना जो केवल निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगीः-
   क) पीएमएसएसवाई प्रभाग जिसमें नए एम्स भी शामिल हैं द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं से संबंधित विधि मामले।
   ख) पीएमएसएसवाई, जिसमें नए एम्स भी शामिल हैं, द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं से संबंधित अदालती मामले।
   ग) विधि / सांविधिक संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण करना तथा सलाह प्रदान करना।
   घ) विधि मामलों से संबंधित विभिन्न फोरम में दायर किए जाने वाले दस्तावेज तैयार करना।
   ङ) दस्तावेजों की विधिक पुनरीक्षा करने से संबंधित सलाह और जानकारी प्रदान करना।
   च) अदालतों में मंत्रालय / पीएमएसएसवाई परियोजना के अधिवक्ता की सहायता करना।
   छ) पीएमएसएसवाई प्रभाग द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कोई कार्य और सभी कार्यों करना।
   ज) अन्य परामर्शदाताओं और / या पीएमएसएसवाई प्रभाग की यूनिटों के समन्वय से कार्य करना।

झ) विधिक मामलों का उदाहरण देना और उन्हें प्रस्तुत करना।

ञ) सरकारी अधिवक्ताओं और अन्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना।

2. पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले 65 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति, जिसमें न्यायिक सेवाओं / केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सशस्त्र सेना / सीपीडब्ल्यूडी / सीपीएसयू से सेवानिवृत्त व्यक्ति शामिल हैं, आवेदन कर सकते हैं।

3. संविदा अवधिः लघु सूची प्रक्रिया के बाद चयनित उम्मीदवार, जिसमें लघु सूचीकृत उम्मीदवारों का वैयक्तिक साक्षात्कार भी शामिल है, को प्रारंभ में ग्यारह माह की अवधि जिसका विस्तार कार्यात्मक आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा, के लिए पूर्णतया संविदा आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

4. पारिश्रमिकः पारिश्रमिक एक लाख रुपए प्रति माह दिया जाएगा जिसमें सभी भत्ते शामिल होंगे।

5. आवेदन प्रक्रियाः परामर्शदाता के रूप में विचार किए जाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को विस्तृत जीवनवृत्त और प्रत्यय पत्रों की प्रतियों सहित अपने आवेदन नीचे दिए गए प्रपत्र के अनुसार श्री विनोद कुमार, अवर सचिव (पीएमएसएसवाई), कमरा सं. 112 डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011 को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से 31 मार्च, 2016 तक या उससे पहले प्रस्तुत करने होंगे।

(विनोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्सः 23061213

आवेदन के लिए प्रपत्र

क) आवेदित पदः

ख) नामः

ग) डाक पताः

घ) मोबाइल सं.

ङ) ई-मेल आईडीः

च) विस्तृत योग्यता / विस्तृत जीवन-वृत्त संलग्न करें।

छ) अनुभव (क्रमानुसार): विस्तृत जीवन वृत्त संलग्न करें।

ज) फोटोचित्रः रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ लगाएं।

झ) वर्तमान / पूर्व नियोक्ता से सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र। यदि पीपीओ उपलब्ध है, तो प्रतिलिपि संलग्न करें।

ञ) घोषणाः मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे आवेदन में दिया गया विवरण सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं नियुक्ति प्रस्ताव देने के दो सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण कर लूंगा।